



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243258  
CG-DL-E-27012023-243258

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]  
No. 428]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

का.आ. 442(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3क के उप-नियम (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना करती है और इनमें निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नियुक्त करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	शिकायत अपीलीय समितियाँ	
	1	
(1)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय	अध्यक्ष पदेन;
(2)	श्री आशुतोष शुक्ला, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त)	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	श्री सुनील सोनी, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

2		
(1)	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव	अध्यक्ष पदेन;
(2)	कोमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक (कार्मिक सेवाएं), नौसेना मुख्यालय, भारतीय नौसेना	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	श्री कवींद्र शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष (परामर्श), एलएंडटी इन्फोटेक लिमिटेड	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।
3		
(1)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक जी	अध्यक्ष पदेन;
(2)	श्री संजय गोयल, भारतीय रेलवे यातायात सेवा (सेवानिवृत्त)	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो;
(3)	श्री कृष्णगिरि रगोत्तमराव मुरलीमोहन, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड	पूर्णकालिक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

राकेश माहेश्वरी, वैज्ञानिक जी  
[ई.फा. सं. 2(17)/2022-साइबर लॉ]

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2023

**S.O. 442(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rules (1) and (2) of rule 3A of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby establishes the following three Grievance Appellate Committees and appoints thereto the following persons as chairperson and members, namely:—

Sl. No.	Grievance Appellate Committees	
1		
(1)	Chief Executive Officer, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), Ministry of Home Affairs	Chairperson ex officio;
(2)	Shri Ashutosh Shukla, Indian Police Service (Retired)	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Shri Sunil Soni, former Chief General Manager and Chief Information Officer, Punjab National Bank	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.
2		
(1)	Joint Secretary in charge of Policy and Administration Division in the Ministry of Information and Broadcasting	Chairperson ex officio;
(2)	Commodore Sunil Kumar Gupta (Retired),	Whole time member, for a term of three years from the date

	former Director (Personnel Services), Naval Head Quarters, Indian Navy	of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Shri Kavindra Sharma, former Vice President (Consulting), L&T Infotech Limited	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.
3		
(1)	Ms Kavita Bhatia, Scientist G in the Ministry of Electronics and Information Technology	Chairperson ex officio;
(2)	Shri Sanjay Goel, Indian Railway Traffic Service (Retired)	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier;
(3)	Shri Krishnagiri Ragothamarao Murali Mohan, former Managing Director and Chief Executive Officer, IDBI Intech Limited	Whole time member, for a term of three years from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 2(17)/2022-Cyberlaws]

RAKESH MAHESHWARI, Scientist G